उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्याः–यू0ओ0–86 / छः–पु0–9–2011–9 / 10–आब0–2
लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई,2014

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित विष अधिनियम–1919 (अधिनियम संख्या–12 सन् 1919) की धारा 2 और 8 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके सरकारी अधिसूचना संख्या–3270 / आठ–9–4(5)–89, दिनांक 31 जुलाई, 1989 में विष घोषित मिथाइल अलकोहल को कब्जे में रखने और विक्रय को विनियमित करने के लिए उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) सन 1921 को संशोधित करने की दृष्टि से राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, जिसे अधिनियम 1919 की धारा–8 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना संख्याः–यू0ओ0–86 / छः–पु0–9–2011–9 / 10– आब0–2 दिनांक 28 नवम्बर, 2013 के अधीन पहले प्रकाशित किया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 17–क का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) रूल्स, 1921 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 17–क में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(छ) "मिथाइल अलकोहल" का तात्पर्य "मिथोनाल" या "कार्बोनाल" से है जिसका रासायनिक सूत्र $CH_3\,OH$ है और इसमें व्यापार जगत में "वुड अलकोहल" "वुड स्प्रिट", "वुड नेथ्था" पायरोक्सीहिंक स्प्रिट "पायरोक्सीहिंक अम्ल", "पायरोलीशिनियस स्प्रिट", "पायरो अलकोहल", हेस्टेनिग्स "नेथ्था", "कोलोनियल स्प्रिट", "कोलम्बीयन स्प्रिट", जैसे या मिथाइल हाइड्रेट के रूप में ज्ञात पदार्थ या कोई तैयार पदार्थ जो मिथाइल	(छ) "मिथाइल अलकोहल" का तात्पर्य "मिथोनाल" या "कार्बोनाल" से है जिसका रासायनिक सूत्र $CH_3\,OH$ है और इसमें व्यापार जगत में "वुड अलकोहल" "वुड स्प्रिट", "वुड नेथ्था" पायरोक्सीहिक स्प्रिट "पायरोक्सीहिंक अम्ल", "पायरोलीशिनियस स्प्रिट", "पायरो अलकोहल ", हेस्टेनिग्स "नेथ्था", "कोलोनियल स्प्रिट", "कोलम्बीयन स्प्रिट", या मिथाइल हाइड्रेट के रूप में ज्ञात पदार्थ या कोई तैयार पदार्थ जो मिथाइल अलकोहल से बनाया गया हो और जिसमें अन्तिम उत्पाद में तरल रूप

अलकोहल से बनाया गया हो और जिसमें अन्तिम उत्पाद में तरल रूप में मिथाइल अलकोहल हो, चाहे ऐसे मिथाइल अलकोहल को किसी भी नाम से पुकारा जाय, जैसा कि यहां पूर्व में उल्लिखित है, भी सम्मिलित है, लेकिन प्रयोगशाला रसायन और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिकर्मण जैसे शुद्ध, अतिरिक्त शुद्ध विश्लेषक प्रतिकर्मक, गारण्टीकृत प्रतिकर्मक, विशेष श्रेणी या स्पेक्ट्रमी श्रेणी, वाणिज्यिक और तकनीकी श्रेणी कार फिशर प्रतिकर्मक ए और बी, प्रयोगशाआलों आदि में प्रयोग किए जाने वाले घोलों में सूचक, जिस पर इस रूप का सम्यक् नाम पत्र चिपकाया गया हो और उसके विनिर्माता का सुपाठ्य नाम और पता प्रदर्शित हो या पात्र और फार्मलडिहाइड के घोल भी, मिथाइल एसीटेट, पैरा फार्मलडिहाईड, मिथाइल अलकोहल में फार्मलीन और पालीऔनील एसीटेंट या जिसमें मिथाइल अलकोहल हो और ऐसे अन्य सम्यक्, रसायन या पदार्थ सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।	में मिथाइल अलकोहल हो, चाहे ऐसे मिथाइल अलकोहल को किसी भी नाम से पुकारा जाय, जैसा कि यहां पूर्व में उल्लिखित है, भी सम्मिलित है, लेकिन उनमें मिथाइल अलकोहल से युक्त पेण्ट और वार्निश, प्रयोगशाला रसायन और विभिन्न श्रेणियों के प्रतिकर्मण जैसे शुद्ध, अतिरिक्त शुद्ध विश्लेषक प्रतिकर्मक, गारण्टीकृत प्रतिकर्मक, विशेष श्रेणी या स्पेक्ट्रमी श्रेणी, वाणिज्यिक और तकनीकी श्रेणी कार फिशर प्रतिकर्मक ए और बी, प्रयोगशाआलों आदि में प्रयोग किए जाने वाले घोलों में सूचक, जिस पर इस रूप का सम्यक् नाम पत्र चिपकाया गया हो और उसके विनिर्माता का सुपाठ्य नाम और पता प्रदर्शित हो या पात्र और फार्मलडिहाइड के घोल भी, मिथाइल एसीटेट, पैरा फार्मलडिहाईड, मिथाइल अल्कोहल में फार्मलीन और पालीऔनील एसीटेंट या जिसमें मिथाइल अलकोहल हो और ऐसे अन्य सम्यक्, रसायन या पदार्थ सम्मिलित नहीं हैं, जिन्हें राज्य सरकार समय–समय पर अधिसूचित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

नियम 17–ख का संशोधन

3– उक्त नियमावली में, नियम 17–ख में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड(क),(ख),(घ)और(ड) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
17–ख– बिना लाइसेन्स के मिथाइल अलकोहल के कब्जे या विक्रय का निषेध–	17–ख– बिना लाइसेन्स के मिथाइल अलकोहल के कब्जे या विक्रय का निषेध–
(क) राज्य में मिथाइल अलकोहल का **उत्पाद** के रूप में उत्पादन करने वाला कोई उद्योग लाइसेन्स	(क) राज्य में मिथाइल अलकोहल का उत्पादन करने वाला कोई उद्योग लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र एम0ए0–1 में

प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र एम0ए0–1 में स्वीकृत लाइसेन्स के बिना उसका विक्रय नहीं करेगा।	स्वीकृत लाइसेन्स के बिना उसका विक्रय नहीं करेगा।
(ख) जब तक इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट न दी गयी हो, कोई भी व्यक्ति मिथाइल अलकोहल चाहे थोक या फुटकर में लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा थोक और फुटकर के लिए क्रमशः प्रपत्र एम0ए0–2 और प्रपत्र एम0ए0–3 में स्वीकृत लाइसेन्स के बिना बिक्री के लिए न तो रखेगा, न कब्जे में रखेगा, न बेचेगा।	(ख) जब तक इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट न दी गयी हो, कोई भी व्यक्ति मिथाइल अलकोहल चाहे थोक या फुटकर में लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा थोक और फुटकर के लिए क्रमशः प्रपत्र एम0ए0–2 और प्रपत्र एम0ए0–3 में स्वीकृत लाइसेन्स के बिना बिक्री के लिए न तो रखेगा, न कब्जे में रखेगा, न बेचेगा। मिथाइल अलकोहल की थोक द्वारा बिक्री 200 लीटर या उससे अधिक मात्रा में होगी, बिक्री मुहरबन्द टैंकरों या ड्रम में की जायेगी।
(घ) कोई भी व्यक्ति प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्स के बिना मिथाइल अलकोहल को दो लीटर से अधिक मात्रा में बिरलक पेण्ट और वार्निश के रूप में न तो क्रय करेगा न कब्जे में रखेगा, न प्रयोग या विक्रय करेगा।	(घ) प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्स के बिना मिथाइल अलकोहल से युक्त थिनर जिसकी मात्रा दो सौ लीटर से अनधिक हो, के क्रय, कब्जा, प्रयोग या विक्रय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। किन्तु कोई भी व्यक्ति प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्स के बिना मिथाइल अलकोहल से युक्त थिनर जिसकी मात्रा दस लीटर से अधिक हो, का गैर मुहरबन्द ढंग से न तो क्रय करेगा न कब्जे में रखेगा, न प्रयोग या विक्रय करेगा।
(ड.) राज्य में कोई व्यक्ति या उद्योग किसी लाइसेन्स के अधीन मिथाइल अलकोहल किसी व्यक्ति या उद्योग को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विहित रंगीन कर्मक और या तीक्ष्ण गंध मिलाये बिना न तो भण्डारण करेगा, न कब्जे में रखेगा, न वितरण, अन्तरण या विक्रय करेगा।	(ड.) राज्य में कोई भी व्यक्ति या उद्योग किसी लाइसेन्स के अधीन मिथाइल अलकोहल किसी व्यक्ति या उद्योग को आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथा विहित रंगीन कर्मक और या तीक्ष्ण गंध और/या मिथाइल अलकोहल की त्वरित पहचान के लिए किसी प्रभावी पदार्थ को मिलाये बिना न तो भण्डारण करेगा, न कब्जे में रखेगा, न वितरण, अन्तरण या विक्रय करेगा: परन्तु यह कि विशेष परिस्थितियों में आबकारी आयुक्त औषधीय, वैज्ञानिक, शैक्षणिक, औद्योगिक (उन उद्योगों को छोड़कर जिनमें मिथाइल अलकोहल तैयार

	उत्पादन के रूप में किसी मात्रा में विद्यमान रहता है) अथवा शोध कियाकलापों के संवर्धन की दृष्टि से राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से किसी लाइसेन्सधारी या लाइसेन्सधारियों के समूह को आंशिक या पूर्ण रूप से मिथाइल अलकोहल की त्वरित पहचान के लिए रंगीन कर्मक और/या तीक्ष्ण गंध और/या किसी प्रभावी पदार्थ के मिश्रित किए जाने से छूट दे सकेगा। **(च)** मिथाइल अलकोहल की त्वरित पहचान के लिए रंगीन कर्मक और/या तीक्ष्ण गंध और/या किसी प्रभावी पदार्थ के मिश्रित किए जाने से आंशिक या पूर्ण से से छूट देने से इंकार करने से संबंधित आबकारी आयुक्त के आदेश द्वारा व्यथित होने की दशा में कोई व्यक्ति या उद्योग राज्य सरकार के आबकारी विभाग में अपील दायर कर सकेगा: परन्तु यह और किसी इस उपनियम के अधीन किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि आबकारी आयुक्त के आदेश के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो।
(च) शब्द और चिन्ह "विष" सभी स्थानों और पात्रों पर, जहां जिनमें मिथाइल अलकोहल या इसका कोई उत्पाद संग्रह किया जाय या रखा जाय सुस्पष्ट रूप में लिखा जायेगा और प्रदर्शित किया जायेगा।	**(ज)** मिथाइल अलकोहल के प्रसंस्करण, भण्डारण या परिवहन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक पात्र, धारित्र, टैंक या बर्तन पर निम्नलिखित सुस्पष्ट उत्कीर्ण लेख, लाल पृष्ठभूमि के समक्ष हिन्दी में और अंग्रेजी में सफेद रंग में अंकित होगाः– (क) पात्र संख्या और क्षमता। (ख) मिथाइल अलकोहल या थिनर की मात्रा। (ग) कानूनी चेतावनीः– "मिथाइल अलकोहल एक विष है। इसे खाने से अन्धता और मृत्यु हो जाती है।" **(झ)** प्रत्येक मुहरबन्द पैकिंग या मिथाइल अलकोहल से युक्त थिनर के धारित्र के लेबल पर सुस्पष्ट रूप से निम्नलिखित

मुद्रित होगा:–

(एक) लाइसेन्स संख्या।

(दो) मिथाइल अलकोहल की प्रतिशत वी /वी में।

(तीन) बैच संख्या।

(चार) निर्माण का दिनांक।

(पॉच) निर्माणकर्ता का नाम और पता।

(छः) कानूनी चेतावनी:–

खतरनाक चिन्ह के साथ, नीचे उल्लिखित आकार में वैषम्य रंग में लेबल पर विकर्णतः अंकित होगा।

"मिथाइल अलकोहल एक विष है। इसे खाने से अन्धता और मृत्यु हो जाती है।"

क–	50 लीटर और उससे अधिक के आकार का धारित्र	15 मिमी0 आकार का लीटर
ख–	05 लीटर और उससे अधिक किन्तु 50 लीटर से कम के आकार का धारित्र	10 मिमी0 आकार का लीटर
ग–	01 लीटर और उससे अधिक, किन्तु 5 लीटर से कम के आकार का धारित्र	08 मिमी0 आकार का लीटर
घ–	01 लीटर से कम के आकार का धारित्र	03 मिमी0 आकार का लीटर

नियम 17–घ का संशोधन

4– उक्त नियमावली में, नियम 17–घ में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(घ) प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्सदार मिथाइल अलकोहल का अपना प्रदाय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रपत्र एम0ए0–1, एम0ए0–2 या एम0ए0–3 में लाइसेन्सदार से प्राप्त करेगा लेकिन	(घ) प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्सदार मिथाइल अलकोहल का अपना प्रदाय लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा यथा विनिश्चित प्रपत्र एम0ए0–1, एम0ए0–2 या एम0ए0–3 में लाइसेन्सदार से प्राप्त करेगा लेकिन प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्सधारी जो मिथाइल

प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्सधारी जो मिथाइल अलकोहल को थिनर,पेण्ट और वार्निश के रूप में क्रय और विक्रय करना चाहता हो तो उसे प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्सधारी से जो ऐसे उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत है ऐसा करने की अनुज्ञा दी जायेगी।	अलकोहल को थिनर के रूप में क्रय और विक्रय करना चाहता हो तो उसे प्रपत्र एम0ए0–4 में लाइसेन्सधारी से जो ऐसे उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए प्राधिकृत है ऐसा करने की अनुज्ञा दी जायेगी।

आज्ञा से,

राकेश बहादुर
प्रमुख सचिव।

संख्याः–यू0ओ0–86(1)/छः–पु0–9–2011–9/10–आब0–2–तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
(6) अपर महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(7) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
(9) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
(10) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय,ऐशबाग,लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि सहित असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट–के भाग–4, खण्ड–ख में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की मुद्रित 5000 प्रतियॉ शासन को एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
✓(11) कम्प्यूटर सेल, गृह नियंत्रण कक्ष, गृह विभाग को उक्त अधिसूचना वेवसाइट पर लोड करने हेतु।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

Uttar Pradesh Shashan
Grih (Police) Anubhag-9

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no-U.O.-86/VI-P-9-2011-9/10-Excise-2, Dated 22 July, 2014 for general information:

NOTIFICATION

No-U.O.-86/VI-P-9-2011-9/10-Excise-2
Lucknow: Dated: July 22 ,2014

In exercise of the powers under sections 2 and 8 of the Poisons Act, 1919 (Act no. XII of 1919) read with section 21 of the General Clauses Act. 1897 (Act no. X of 1897) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Poisons (Regulation of Possession and Sale) Rules, 1921 for regulating the possession and sale of Methyl Alcohol declared Poison in Government notification **no. 3270/VIII-9-4(5)-89 dated July 31, 1988** the same having been previously publised under notification **no-U.O.-86/VI-P-9-2011-9/10-Excise-2, dated 28 November,2013** as required under sub section (2) of section 8 of the Act no- XII of 1919:

The Uttar Pradesh Poisons (Regulation of Possession and Sale) (Third Amendment) Rules, 2014

The Uttar Pradesh Poisons (Regulation of Possession and Sale) (Third Amendment) Rules, 2014

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Poisons (Regulation of Possession and Sale) (Third Amendment) Rules, 2013.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette.

Amendment of rule 17-A.

2- In the U.P. Poisons (Regulation of Possession and Sale) Rules, 1921 hereinafter referred to as the said rules in rule 17-A for existing clause (g) set out in column-I below the clause as set out in Column-II shall be substituted namely:

Column-I **Existing Clause**	**Column-II** **Clause as hereby substituted**
(g) 'Methyl Alcohol means 'Methanol' or 'Carbonol' having the chemical formula CH3OH and shall also include substances commercially know as 'wood Alcohol.' 'Wood	**(g)** "Methyl Alcohol" means 'Methanol' or 'Carbonol' having the chemical formula CH3OH and shall also include substances commercially know as 'wood Alcohol.' 'Wood Spirit' , 'Wood Naptha'. 'Pyroxyhic

Spirit', 'Wood Naptha'. 'Pyroxyhic Spirit', 'Pyroxyhic Acid'. 'Pyroligeneous Spirit', 'Pyro Alcohol'. Hastenings 'Neptha', Colonical Spirit'. 'Columbian Spirit or 'Methyl Hydrate' or any preparation made with and containing Methyl Alcohol in the liquid form in the final product by whatever name such Methyl Alcohol is called as mentioned here to before but shall not include laboratory chemicals and reagents of various grade such as pure, extra pure Analytical Reagent, Guaranteed Reagent, Special grades or Spectroscopic grade commercial and technical grades Karl-Fisher reagents A and B, indicators in solutions used in laboratories etc, duly labelled as such and showing the names and address of the manufacturer legibly or the container and also solutions of formaldehyde, Methyl Acetate, Paraformaldehyde Formalin and Polyoonyl acetate in Metyl Alcohol or containing Methyl Alcohol and such other preparations, chemicals or substances as the State Government may from time to time specify by a notified order.	Spirit', 'Pyroxyhic Acid'. 'Pyroligeneous Spirit', 'Pyro Alcohol'. Hastenings 'Neptha', Colonial Spirit'. 'Columbian Spirit or 'Methyl Hydrate' or any preparation made with and containing Methyl Alcohol in the liquid form in the final product by whatever name such Methyl Alcohol is called as mentioned heretofore but shall not include, paint and varnishes containing Methyl Alcohol, laboratory chemicals and reagents of various grades such as pure, extra pure Analytical Reagent, Guaranteed Reagent. Special grades or Spectroscopic grade commercial and technical grades Karl-Fisher reagents A and B, indicators in solutions used in laboratories etc, duly labeled as such and showing the names and address of the manufacturer legibly or the container and also solutions of formaldehyde, Methyl Acetate, Paraformaldehyde Formalin and Polyoonyl acetate in Metyl Alcohol or containing Methyl Alcohol and such other preparations, chemicals or substances as the State Government may from time to time specify by a notified order.

Amendment of rule 17-B

3- In the said rules in rule 17B for exiting clauses (a) (b) (d) and (e) set out in Column-I below the clauses as set out in Column-II shall be substituted namely :-

Column-I	**Column-II**

Existing Clause	Clause as hereby substituted
17-B. Possession and sale of Methyl Alcohol without licence is prohibited.-	**17-B.** Possession and sale of Methyl Alcohol without licence is prohibited.-
(a) Any Industry in the State producing Methyl Alcohol as a by product shall not sell it except under Licence granted by the Licensing Authority in Form M.A.I.	(a) Any Industry in the State producing Methyl Alcohol shall not sell it except under Licence granted by the Licensing Authority in Form M.A.I.
(b) Unless exempted from the operation of these rules, no person shall keep, possess for sale or sell whether by wholesale or retail Methyl Alcohol except under a Licence granted by the Licensing Authority in Form M.A.-2 and Form M.A. 3 for wholesale and retail respectively.	(b) Unless exempted from the operation of these rules, no person shall keep, possess for sale or sell whether by wholesale or retail Methyl Alcohol except under a Licence granted by the Licensing Authority in Form M.A.-2 and Form M.A. 3 for wholesale and retail respectively. The sale of Methyl Alcohol by wholesale shall involve 200 litre quantity or above and shall be done in sealed tankers or drums.
(d) No person shall purchase, possess, use or sell methyl Alcohol in the Form of thinners paints and varnishes in quantities exceeding two litres without a Licence in Form M.A. 4	(d) There shall be no restriction on purchase, possession use or sale of thinners containing Methyl Alcohol in sealed containers in a quantity not exceeding two hundred litres without a licence in Form M.A. 4. But no person shall purchase, possess, use or sale thinners containing Methyl Alcohol in unsealed manner in quantities exceeding ten litres without a Licence in Form M.A. 4
(e) No person or industry in the State shall store, possess, distribute, transfer or sell Methyl Alcohol under any Licence to any person or industry without mixing a colouring agent and punget	(e) No person or industry in the State shall store, possess, distribute, transfer or sell Methyl Alcohol under any Licence to any person or industry without mixing a colouring agent and/or pungent odour and/or any substance effective in quick

odour as prescribed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh.	identification of Mythyl Alcohol as prescribed by the Excise Commissioner, Uttar Pradesh. Provided that in special circumstances the Excise Commissioner with a view to augment medicinal, scientific, educational, industrial (except those industries in which methyl alcohol remains as such in the finished product in any quantity) or research activities may with prior sanction of the State Government, exempt partially or wholly any licensee or group of licensees from addition of colouring agent and/or pungent odour and/or any substance effective in quick identification of Methyl Alcohol.
	(f) In case any person or industry aggrieved by the order of the Excise Commissioner refusing to exempt partially or wholly from addition of coloring agent and/or pungent odour and/or any substance effective in quick identification of Methyl Alcohol, may file an appeal before the State Government in Excise Department. Provided further that no application under this sub-rule shall be entertained unless it is preferred within ninety days from the date of the order of the Excise Commissioner.
(f) The word and sign 'Poison' will be prominently written and displayed on all places and containers where or wherein Methyl Alcohol or any of its products is stored or contained.	(g) Every vessel, container, tank or utensil used for processing, storage or transportation of methyl alcohol shall have the following conspicuously inscription written in white colour in Hindi and in English